न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2012 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :–2012/00059

उनवान

बबलू कुमार पुत्र रामभरोसी जाति धाकड निवासी ग्राम लहचोरा कलॉ तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेण्ट

2. श्रीमती शारदा देवी पत्नी बबलू कुमार जाति धाकड निवासी लहचोरा कलॉ तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2000 पत्रावली संख्या निरी0/2000/784 दिनांक 16.08.2000 बाबत् आवंटन।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–20.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा राजस्व कार्यक्रम माह मई व जून 2000 में उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा किये गये आवंटन/नियमन के निरीक्षण दिनांक 27.07.2000 में जॉच करने पर प्रथम दृष्टया अनियमिततायें पाई जाने के कारण, राजस्व कार्यक्रम के दौरान हुए आवंटन/नियमनो की जॉच पूर्ण होने तक नामान्तकरण खोलने एवं जमाबन्दियों में अमल करने की कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत् अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 से तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश भूमि रूपान्तरण खिलाफ कानून तथा तथ्यों व साक्ष्यों के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.07.2000 को उपखण्ड अधिकारी बयाना का निरीक्षण कर दिनांक 29.05.2000 को हुए आवंटन की पत्रावली के बाबत् आवंटन के तहत नामान्तकरण एवं जमाबन्दियों में नाम दर्ज करने की कार्यवाही जॉच होने तक कोई कार्यवाही ना करने बाबत् आदेश दिनांक 16.08.2000 को दिया गया था। जिस कारण से अपीलाण्ट का नाम राजस्व अभिलेखों में नही आ सका है। अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 का वक्त आवंटन से ही मौके पर कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। जॉच के बाद भी आज तक कोई आदेश रैस्पो0 की ओर से अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश समाप्त किया जाकर अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के इन्द्राज दर्ज होना आवश्यक है। आवंटन की जॉच पत्रावली के अनुसार अन्य आवंटियों के राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कर दिये हैं। परन्तु अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है, जबकि सबका आदेश एक ही था। पत्रावली में 11 साल से ज्यादा समय तक जॉच चलना भी सम्भव नहीं है व जॉच की पत्रावली भी दाखिल दफ्तर हो चुकी है। परन्तु अपीलाण्ट को खातेदारी/गैर खातेदारी नहीं दी गयी है। इस तथ्य की जानकारी होने के तुरन्त बाद जानकारी के दिन से, अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है यदि आवंटन गलत हैं या नियम विरूद्ध हैं तो आवंटन नियम 14(4) के तहत नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। उक्त प्रकार से कार्यवाही कर आवंटन की प्रक्रिया को रोकने की जिला कलक्टर को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलाण्ट को हुये आवंटन के तहत नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार/खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी जिरह में तर्क प्रस्तुत किए कि आवंटन/नियमन कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निरीक्षण में अनियमितताएँ पाये जाने पर उचित ही नामान्तकरण खोलने हेतु कार्यवाही नहीं करने हेतु तहसीलदार बयाना को निर्देशित किया था। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपील द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2012 को लगभग 11 वर्ष 05 माह बाद मियाद बाहर पेश की गयी है एवं प्रार्थना पत्र मियाद अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किये गये हैं। जबकि आवंटन के तुरन्त बाद से, आवंटी का राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी का अंकन होता है व निर्धारित अवधि बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः अपीलाण्ट को वर्ष 2000 में हुए आवंटन से, गैर खातेदारी दर्ज ना होने की जानकारी 12 वर्ष बाद मिलने का कथन, सत्यभासी नहीं माना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा सकता। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 11 वर्ष 05 माह की अवधि का विलम्ब, एक–एक दिन के विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण के अभाव में, किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपील खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है, अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में, जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निरीक्षण दिनांक 27.07.2000 की निरीक्षण रिपोर्ट क्रंमाक/निरीक्षण/2000/798 –799 दिनांक 18.08.2000 के पैरा संख्या 45 ''कृषि भूमि आवंटन दिनांक 15.05.2000 से 30.06. 2000 तक में अपीलाण्ट के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। इस निरीक्षण की अनुवर्ती कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बयाना के राजकीय भूमियों के आवंटन/नियमन में बरती गई अनियमितताओं के विवरण में पृष्ठ संख्या 05 के पैरा संख्या 04 में ग्राम लहचौरा कलॉ में दिनांक 29.05.2000 को किसी अन्य प्रकरण कमल सिंह पुत्र रामसहाय जाटव निवासी लहचौरा कलॉ के आवंटन का उल्लेख है परन्तु अपीलाण्ट के आवंटन का नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश, क्रंमाक/निरी./2000/784 दिनांक 16.08.2000 में भी अपीलाण्ट के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। निरीक्षण दिनांक 27.07.2000 एवं इसकी पालना में जॉच, एक प्रशासनिक कार्यवाही है एवं अपीलाधीन पत्र दिनांक 16.08.2000 इस क्रम में प्रशासनिक निर्देश हैं, कोई न्यायिक आदेश नहीं। अपीलाण्ट प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध अनुतोष, प्रशासनिक स्तर पर ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपील संधारणीय नहीं है। प्रशासनिक निर्देशों से यदि अपीलाण्ट अपने अधिकारों का हनन होना पाता है, तो घोषणा हेतु वाद लाने को स्वतंत्र है। हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलाण्ट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, संधारणीय नहीं होने के कारण हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर